उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांकः 27.02.2019

एस0एल0डी0सी0 हेतु वित्तीय वर्ष 2019–20 से वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए

बहुवर्षीय टैरिफ याचिका पर पारित टैरिफ आदेश : मुख्य बिन्दु

- एस0एल0डी0सी0 (SLDC) द्वारा तृतीय नियन्त्रण अवधि वित्तीय वर्ष 2019–20 से वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए एस0एल0डी0सी0 प्रभार के अनुमोदन हेतु आयोग के समक्ष दिनांक 30.11.2018 को याचिका प्रस्तुत की गई।

- वर्तमान टैरिफ आदेश में आयोग द्वारा तृतीय नियन्त्रण अवधि वित्तीय वर्ष 2019–20 से वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए एस0एल0डी0सी0 प्रभार अनुमोदित किये गये है।

- एस0एल0डी0सी0 (**SLDC**) द्वारा नियन्त्रण अवधि के लिए प्रस्तावित एस0एल0डी0सी0 प्रभार तथा आयोग द्वारा अनुमोदन निम्न तालिका में दर्शायी गयी हैः–

तालिका : एस0एल0डी0सी0 (**SLDC**) प्रभार (रू0 करोड़)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2018–19	वित्तीय वर्ष 2019–20	
	टैरिफ आदेश में अनुमोदित	प्रस्तावित	अनुमोदित
एस0एल0डी0सी0 प्रभार	16.84	25.83	11.35
गतवर्ष की तुलना में वृद्धि (%में)	-	53.4%	-32.6%

- वित्तीय वर्ष 2018–19 से वित्तीय वर्ष 2019–20 में एसएलडीसी (SLDC) प्रभारों में कमी का कारण वित्तीय वर्ष 2017–18 में कम वास्तविक पूंजीकरण है। (वित्तीय वर्ष 2017–18 के आदेश में अनुमोदित रू0 32.27 करोड़ के सापेक्ष वास्तविक पूंजीकरण रू0 0.22 करोड़ है।)

- वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए टैरिफ आदेश के अनुमोदन के समय कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि नहीं हुई है। (आदेश में स्वीकृत 13 कर्मचारियों के सापेक्ष वास्तविक भर्तियां नहीं हुई है)

****